न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना,आई.ए.एस

अपील संख्या: 16/2019 एल.आर.एक्ट

1. विक्रम नाथ चेला शुभनाथ जाति नाथ साकिन चक 2एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

.....अपीलान्ट्

बनाम

1. धर्मनाथ चेला शुभनाथ जाति नाथ साकिन चक 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत 2 एमएल पंचायत समिति श्रीगंगानगर ।

.....रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलान्ट ।
2– श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01

निर्णय

दिनांक 30.8.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.12.2018, जिसके द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में राजस्व वाद खारिज करने एवं अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत किया जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की गयी, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक नं0 2 एमएल का मुरब्बा सं0 7, मुरब्बा सं0 11, व मुरब्बा सं0 13 की कुल 46बीघा अर्थात 11.638 हैक्टेयर श्री शुभनाथ चेला रघुवीरनाथ जाति नाथ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । शुभनाथ का दिनांक 24.2.2018 को देहान्त हो जाने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एम.एल. एवं प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.4.18 अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एम.एल. पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा बाबा धर्मनाथ चेला शुभनाथ जाति नाथ के नाम विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 स्वीकृत कर दिया गया । उक्त विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 के विरुध्द अपीलान्ट विक्रमनाथ द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 9/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ, सरपंच 2एमएल प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2018 द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील इस आधार पर खारिज की गयी कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद सं0 40/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज होने पर उसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है । इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में सिविल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत की हुई है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलटर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 24.12.18 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट की तलबी की गयी एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि विवादित कृषि भूमि चक 2 एमएल. की तादादी 46 बीघा अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं01 गुरु स्वर्गीय शुभनाथ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । अपीलान्ट के गुरु शुभनाथ का दिनांक 24.2.18 को देहावसान हो जाने से अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर एवं सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एमएल. श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 13.3.2018 को एक घोषणात्मक, बंटवारा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसमें स्थगन आदेश भूमि रहन, बैय, अंतरित नहीं करने बाबत जारी किया गया, जिसकी प्रति ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर दी गयी । तत्पश्चात दिनांक 19.4.18 को उक्त राजस्व वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज करने पर इसी दिनांक 19.4.18 को ग्राम पंचायत चक 2 एमएल. (श्रींगंगानगर) द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 के नाम जायज वारिस प्रमाण पत्र एक तरफा जारी किया जाकर अपीलाधीन विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकृत कर दिया गया । जिसके विरुध्द अंपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज होने पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत किया जाने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए खारिज की गयी है, जो निरस्त योग्य है ।

5. प्रकरण में ग्राम पंचायत चक 2 एम.एल द्वारा राजस्व वाद सं0 40/18 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज होने को आधार बनाकर उत्तराधिकार/वारिस प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है । जबकि उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेश–7 नियम 11 सीपीसी के आदेश में स्पष्ट अंकित था कि उत्तराधिकार तय करना सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है । इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के वारिस प्रमाण पत्र जारी कर कानूनी भूल करने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी सं0 23/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ वगैरह दायर की गयी, जिसमें निर्णय दिनांक 1.8.19 को प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत चक 2एमएल द्वारा जारी स्वर्गीय शुभनाथ के वारिस का प्रमाण पत्र दिनांक 19.4.18 एवं इस वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 20.4.18 की बैठक में विवादित भूमि के नामान्तरकरण बाबत लिया गया प्रस्ताव अपास्त किया जा चुका है।

6. प्रकरण में शुभनाथ चेला रघुवीरनाथ के दिनांक 24.2.2018 को देहावसान हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक दिनांक 19.4.18 को विरास्तन का नामान्तरकरण सं0 849 दर्ज कर प्रस्तुत किया गया, जिस पर सरपंच, ग्राम पंचायत चक 2 एमएल द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं.2 अनुसार रेस्पोन्डेंट सं01 के नाम विरास्तन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । जबकि उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व वाद सं0 40/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

धर्मनाथ आदेश 7 नियम 11सीपीसी में खारिज किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील सं0 35/2018 प्रस्तुत कर दी गयी थी एवम् अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की जानकारी होने तथा अपीलान्ट की आपत्ति विचाराधीन होने के बावजूद सरपंच, ग्राम पंचायत चक 2 एम एल द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना क्षेत्राधिकार से बाहर इकतरफा तौर पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जो शुरु से शून्य है । इस सम्बन्ध में नजीर आरबीजे (9)2002 पेज 108 अवलोकनीय बताया एवं प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों के सम्बन्ध में नजीर आरएलडब्लू 2003(4) पेज 509 अवलोकनीय बताया । अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर को प्रथम अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए प्रथम अपील अपीलान्ट खरिज की गयी है । इसके अलावा प्रकरण में सिविल कोर्ट न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किये गये सिविल वाद सं0 56/2018 जो चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में है, में दिनांक 5.6.18 को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्टे ऑर्डर जारी किया गया है । प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील सं0 35/2018 में दिनांक 22.7.2019 को अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड न्यायालय, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड की गयी है । प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के रिमाण्ड निर्णय दिनांक 22.7.19 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में धारा–225 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत द्वितीय अपील सं0 3963/19 अनवान धर्मनाथ बनाम विक्रमनाथ प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय द्वारा एडमिशन स्तर पर ही खारिज हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोन्डेंट सं01 के नाम से दर्ज किया गया विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं01 के नाम बहिस्सा बराबर–2 नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

7. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि चक 2 एम.एल के विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 के विरुध्द स्वयं को चेला बाबा शुभनाथ का होना अंकित करते हुए प्रथम अपील उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । जबकि अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय द्वारा स्वर्गीय बाबा शुभनाथ का चेला घोषित नहीं किया गया है । अपीलान्ट द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत की हुई है । ऐसी स्थिति में बिना सक्षम दीवानी न्यायालय से घोषणा करवाये अपील संधारण योग्य नहीं होने पर एवं दिवानी वाद विचाराधीन होने के कारण नामान्तरकरण की अपील को खारिज किया गया है । विक्रमनाथ वास्तव में विक्रमसिंह एडवोकेट है, जिसका विक्रमसिंह के नाम से साईनबोर्ड बना हुआ है। अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि उत्तराधिकारिता के प्रश्न को निर्णीत करने हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम है । प्रकरण में अपीलान्ट एवम् रेस्पोन्डेंट सं01 के मध्य दिवानी वाद याचिका सं0 56/2018 न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में विचाराधीन है । अतः जब तक उत्तराधिकार का बिन्दु सिविल न्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं किया जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 यथावत रखा जावे तथा अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्य नजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् मनन किया । विवादित कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक नं0 2 एमएल का मुरब्बा सं0 7, मुरब्बा सं0 11, व मुरब्बा सं0 13 की कुल 46बीघा अर्थात 11.638 हैक्टेयर श्री शुभनाथ चेला रघुवीरनाथ जाति नाथ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । शुभनाथ का दिनांक 24.2.2018 को देहान्त हो जाने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एम.एल. एवं प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20.4.18 अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एम.एल. पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा बाबा धर्मनाथ चेला शुभनाथ जाति नाथ के नाम विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 स्वीकृत कर दिया गया । उक्त विरास्तन इन्तकाल सं0 849 दिनांक 20.4.18 के विरुध्द अपीलान्ट विक्रमनाथ द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील सं0 9/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ, सरपंच 2एमएल प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.12.2018 द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज होने पर उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 24.12.18 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है । अपील में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है :–

I. प्रकरण अनुसार विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट विक्रमनाथ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष विभाजन एवं घोषणा का वाद सं0 40/20018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ, स्टेट प्रस्तुत किया हुआ था । उक्त राजस्व वाद में रेस्पोन्डेंट सं01 धर्मनाथ के प्रार्थना पत्र आदेश–7 नियम 11 सीपीसी. पर उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के आदेशा दिनांक 19.4.18 द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलान्ट मृतक बाबा शुभनाथ का चेला है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में दिवानी न्यायालय से उत्तराधिकार की घोषणा करवाये बिना राजस्व न्यायालय में वाद चलने योग्य नहीं है। उप खण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 19.4.18 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के यहां प्रथम अपील सं0 35/18 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.7.19 द्वारा सिविल कोर्ट के निर्णय उपरान्त पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है । प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के रिमाण्ड निर्णय दिनांक 22.7.19 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में धारा–225 आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत द्वितीय अपील सं0 3963/19 अनवान धर्मनाथ बनाम विक्रमनाथ प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय द्वारा एडमिशन स्तर पर ही खारिज हो चुकी है।

II. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद सं0 40/2018 अन्तर्गत आदेश–7 नियम 11 सीपीसी में इस आधार पर खारिज किया गया कि उत्तराधिकार तय करना सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है । जबकि सरपंच, ग्राम पंचायत, चक 2 एमएल. द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के दिनांक 19.4.2018 को रेस्पोन्डेंट सं01 के पक्ष में वारिस प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी सं0 23/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ वगैरह दायर की गयी, जिसमें न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.8.19 द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चक 2एमएल द्वारा जारी स्वर्गीय शुभनाथ के वारिस का प्रमाण पत्र दिनांक 19.4.18 एवं इस वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 20.4.18 की बैठक में विवादित भूमि के नामान्तरकरण बाबत लिया गया पंचायत का प्रस्ताव अपास्त किया जा चुका है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

III. प्रकरण में बाबा शुभनाथ का देहावसान होने के पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत 2 एमएल द्वारा विवादित भूमि का विरास्तन इन्तकाल सं0 849 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । जबकि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ था, कि किसी अन्य के नाम से विरास्त इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जावे । इस आधार पर प्रकरण ग्राम पंचायत के समक्ष मामला पहले से डिस्पुटेड था, एवं डिस्पुटेड प्रकरण एल.आर. एक्ट की धारा 135(2) के अन्तर्गत आने से सुनवाई का क्षेत्राधिकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्राप्त था । परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत चक 2एमएल द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर विरास्तन का नामान्तरकरण सं. 849 दिनांक 20.4.18 स्वीकृत कर दिया गया, जो क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

IV. प्रकरण में मुख्य विवाद राजस्व भूमि (Tenancy) पर हक चल सम्पत्तियों के बंटवारे का है, जिसके बारे में अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट को उत्तराधिकार की घोषणा सिविल न्यायालय से करानी होगी । प्रकरण में अपीलान्ट विक्रमनाथ द्वारा सिविल न्यायालय का याचिका सं0 56/2018 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें चल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में है । प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण का अन्तिम निर्णय न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा उत्तराधिकार के लिए प्रस्तुत की गयी याचिका के निर्णयानुसार सम्पन्न होना है ।

V. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक एकाउन्ट, पेन कार्ड एवं स्वर्गीय बाबा शुभनाथ के राशन कार्ड की प्रति एवम गजट राजस्थान राजत्र मई 24,2007 के अनुसार अपीलान्ट विक्रमनाथ स्वर्गीय बाबा शुभनाथ का चेला होने के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं ।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रकरण में गुरु–चेले की उत्तराधिकारिता प्रश्न के लिए मात्र सिविल न्यायालय ही सक्षम है । प्रकरण में उत्तराधिकार के लिए अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष याचिका विविध दिवानी सं0 56/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ वगैरह विचाराधीन है, जो केवल चल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 5.6.18 चल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जारी किया गया है । जबक तक सिविल न्यायालय द्वारा उत्तराधिकारिता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक उक्त प्रकरण के अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है । प्रकरण में ग्राम पंचायत चक 2 एमएल. द्वारा विवादित भूमि के नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलार्थी विक्रमनाथ जो कि प्रभावित पक्षकार था, को नोटिस दिये बिना चक 2एमएल. का नामान्तरकरण सं0 849 दिनांक 20.4.18 जो कि डिस्पुटेड था, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकार किया गया है । ग्राम पंचायत चक 2 एम.एल स्वयं द्वारा दिनांक 19.4.18 को वारिस प्रमाण पत्र जारी कर दिनांक 20.4.18 को डिस्पुटेड नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो वॉयड एबनिश्यो है । प्रभावित पक्षकार को बगैर नोटिस दिये, बिना सुने पारित किया गया आदेश अवैध है और उसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है । विवादित भूमि के नामान्तरकरण का अधिकार न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर को प्राप्त है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील इस आधार पर खारिज की गयी है कि '' अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड न्यायालय श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सं0 40/2018 अनवान विक्रमनाथ बनाम धर्मनाथ आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज होने पर उसके विरुध्द अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तत की गयी है इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत की हुई है ''। प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की प्रविष्टि की वैद्यता अथवा अवैद्यता के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, जो कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता है । अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.18 निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत चक 2एम. एल द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं0 849 दिनाक 20.4.18 निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाने से विवादित भूमि स्वर्गीय बाबा शुभनाथ के नाम चली गयी है । अतः तहसीलदार, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि जब तक सिविल न्यायालय का उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अन्तिम रुप से निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विवादित भूमि चक 2एम.एल की 11.638 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं01 के नाम से बहिस्सा बराबर का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जावे ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.8.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर